Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

सवाईमाधोपुर में ब्लॉक विकास अधिकारी (**BDO**), पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक सवाईमाधोपुर 1,00,000/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 24 फरवरी 2026, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर—प्रथम, जयपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **जगदीश प्रसाद मीणा ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO), पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक सवाईमाधोपुर** को 1,00,000/— **रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर—प्रथम, जयपुर ईकाई को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि जगदीश प्रसाद मीणा ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO), पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक सवाईमाधोपुर द्वारा परिवादी और उसके दो साथियों को उनकी बीपीएम की नौकरी से कार्यमुक्त नहीं करने और पेण्डिग यात्रा भत्ता व अन्य बिलों को पास करने की ऐवज में तीनो से 1,00,000—1,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर परिवादी को परेशान किया जा रहा है और दोनो साथियों की रिश्वती राशि भी परिवादी को ही इक्ट्ठा करके लाकर देने के लिए दबाव बना रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के सुपरविजन में **श्री भूपेन्द्र, अति. पुलिस अधीक्षक,** ए.सी.बी. जयपुर नगर—प्रथम, जयपुर के नेतृत्व में उक्त शिकायत का सत्यापन सही पाये जाने पर आज दिनांक 24.02.2026 को मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये जगदीश प्रसाद मीणा हाल निवास मकान नं. 221, विवेकानन्द नगर, कोटा हाल ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO), पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक सवाईमाधोपुर को परिवादी से 1,00,000/— रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एवं एसीबी के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सत्येन्द्र कुमार** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।